पत्रांक –3/एम०– 162/2005सा0प्र0 15548 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 06-12- 2017

विषय– सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन में बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005(समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रक्रिया एवं प्रावधानों का निर्धारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005(समय–समय पर यथासंशोधित) में किया गया है। उक्त नियमावली के क्रम में प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों के संदर्भ में कतिपय स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं जिनका विस्तृत उल्लेख पत्रांक– 1893 दिनांक– 14.06.2011 में किया गया है। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक– 10798 दिनांक– 04.08.2014, पत्रांक– 17696 दिनांक– 23.12.2014, पत्रांक– 12787 दिनांक– 22.08.2015, पत्रांक– 12196 दिनांक– 07.09.2016, पत्रांक– 8237 दिनांक– 06.07.2016 एवं पत्रांक– 10875 दिनांक– 24.08.2017, जो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं, द्वारा भी कतिपय महत्त्वपूर्ण अनुदेश निर्गत किये गये हैं।

2. परन्तु ऐसा पाया जा रहा है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005(समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं और इस विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का सम्यक् अनुसरण नहीं किया जाता है जिसके कारण विभागीय कार्यवाहियाँ त्रुटिरहित ढंग से संचालित नहीं हो रही हैं और इस कारण से न्यायालयों द्वारा दंडादेशों को निरस्त किया जाता है।

3. उक्त स्थिति पर कतिपय मामलों में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय लोकायुक्त द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है जिसके कारण सरकार को असुविधाजनक स्थिति का सामना

करना पड़ा है। उदाहरणार्थ– सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 5042/2016 पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक– 04.09.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा निम्नरूप में चिन्ता व्यक्त की गयी है –

"It is about time that the Chief Secretary, Government of Bihar takes appropriate steps to train its officers discharging functions of a Disciplinary Authority for unless they have the time and inclination to go through „the Disciplinary Rules" and understand the procedures prescribed therein, these disciplinary proceedings are proving a mockery.

It is because of such laches of the Disciplinary Authorities and their ignorance about the statutory procedure mandated under the „Disciplinary Rules" that government servants facing serious corruption charges, succeed in the litigations. The matter is very serious and requires serious attention because the case in hand is not an isolated example rather this Court is burdened with matters clothed with statutory violations."

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः एक मार्गनिदेश निम्नांकित रूप में दिया जाता है –

(1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005(समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं और इस विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का सम्यक् अनुसरण किया जाय।

(2) नियमावली के नियम–17(3) के प्रावधानों के तहत ही आरोप पत्र का गठन किया जाय जिसमें नियम–17(3) के प्रावधान के तहत निम्नांकित का समावेश किया जाय–

(क) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध किया जाना।

(ख) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध किया जाना जिसमें–

(i) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन, और

(ii) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, अन्तर्विष्ट रहेंगी।

(3) नियमावली के नियम–17(4) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सरकारी सेवक को आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए अपेक्षा की जाय कि यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह अभिकथित करे कि क्या वह चाहता है कि स्वयं उसे व्यक्तिशः सुना जाय।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ही नियमावली के नियम–17/19 के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र के आलोक में आरोपित कर्मी से बचाव बयान/स्पष्टीकरण की मांग की जानी है। प्राप्त बचाव बयान/स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा

ही की जानी है जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि आरोप पत्र के आलोक में बचाव बयान/स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं? यदि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप पत्र के आलोक में बचाव बयान को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाय और प्रतिवेदित आरोप गम्भीर प्रकृति के नहीं हों अर्थात् लघु शास्तियाँ अधिरोपित किये जाने योग्य हों, तब नियम– 19 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए लघु दंड अधिरोपित कर आरोप प्रकरण का अन्तिम निष्पादन किया जाय। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, विभागीय कार्यवाही उन्हीं मामलों में प्रारम्भ की जाय, जिसमें उनकी राय में आरोपित सरकारी सेवक को वृहत दंड दिये जाने की सम्भावना हो।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप पत्र के आधार पर आरोपित कर्मी को सीधे संचालन पदाधिकारी को बचाव बयान समर्पित किये जाने का निदेश दिया जाना नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

(4) नियमावली के नियम– 17(5)(ग) में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है और नियम– 17(11), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) एवं (22) में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के दायित्वों से संबंधित प्रावधान हैं। उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि विभागीय कार्यवाही में आरोपों के समर्थन में अनुशासनिक प्राधिकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने, आरोप सिद्ध करने हेतु साक्षियों एवं साक्ष्य को प्रस्तुत करने तथा आरोपित पदाधिकारी के साक्ष्य एवं साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने जैसा महत्त्वपूर्ण दायित्व प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का होता है। इसी कारण विभागीय परिपत्र संख्या– 1893 दिनांक– 14.06.2011 की कंडिका–6 द्वारा यह मार्गनिदेश दिया गया है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में ऐसे सरकारी सेवक की नियुक्ति की जाय जो अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से विषय को समुचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वांछित जानकारी रखते हों। उक्त परिपत्र में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के दायित्वों को निरूपित करते हुए अंकित किया गया है, कि "प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का कर्त्तव्य होता है कि आरोप से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। उसका कार्य अभियोजन पक्ष को प्रस्तुत करने का होता है।"

अतः विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय लिये जाने पर संचालन पदाधिकारी के साथ–साथ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की भी नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाय।

(5) संचालन पदाधिकारी द्वारा, विभागीय कार्यवाही की सुनवाई के क्रम में, आरोपित कर्मी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सुनने, उन्हें अभिलेखों एवं साक्षियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनः परीक्षण का अवसर देने के उपरान्त, विस्तृत तार्किक आदेश पारित कर अपने निष्कर्ष को अभिलिखित किया जाय।

संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष किसी प्रतिवेदन से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गनिर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, उपर्युक्त स्पष्ट अनुदेशों/मार्गदर्शनों एवं उक्त नियमावली के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद यदि कोई प्रक्रियात्मक चूक होती है और इस कारण दंडादेश न्यायालय द्वारा निरस्त होता है तो संबंधित विभाग ऐसी चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को दंडित करे और चारित्री/पी०ए०आर० में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित किया जाना सुनिश्चित करे।

6. इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग ऐसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, जो विभाग में इस दायित्वों को देखते हों, के लिए अनुशासनिक कार्रवाई संचालन से संबंधित प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से आयोजित करे ताकि प्रक्रियात्मक चूक से बचा जा सके।

विश्वासभाजन,

6.12.17

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव।